न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 03 / 2023

प्रार्थी

श्री ईश्वरसिंह पुत्र श्री जगतसिंह जाति राजपूत निवासी किवरली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत किवरली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत किवरली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्री जीवाराम पुत्र श्री हीमाजी जाति कुम्हार निवासी किवरली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार देलदर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र पुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री मुनव्वर हुसैन, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से।
3. नायब तहसीलदार सिरोही, पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या चार की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 28.04.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, किवरली द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 47 दिनांक 03.11.1981 वर्गफीट 700 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 256, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 271 के तहत जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से अधिवक्ता श्री मुनव्वर हुसैन ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया एवं अप्रार्थी संख्या चार की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति [illegible] जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 18:01:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह कथन किया कि ग्राम पंचायत किवरली द्वारा अपने स्वामित्व की आबादी भूमि नहीं होते हुए भी फर्जी व कुटरचित तरीके से नीलामी होना बताकर फर्जी तरीके से अप्रार्थी संख्या एक से तीन ने मिलीभगत कर दिनांक 03.11.1981को बिना कोई कार्यवाही के पंचायत राज नियमों के तहत जारी कर फर्जी तरीके से आबादी भूमि होना बताकर पट्टा संख्या 47 दिनांक 03.11.1981 को उक्त पट्टा विलेख जारी कर दिया, जबकि उक्त पट्टा विलेख शुरू से अवैध व शून्य है और ऐसे

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

फर्जी पट्टा विलेख के आधार पर अप्रार्थी संख्या तीन को कोई हक व अधिकार पैदा नहीं होता है। यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा जिस भूमि का पट्टा विलेख नीलामी में होना बताकर जारी किया गया है, उक्त भूमि पंचायत की आबादी भूमि नहीं होकर खसरा संख्या 302/1 रकबा 0.3414 हैक्टेयर किस्म खाल खद्दर राजकीय बिलानाम भूमि है और उक्त भूमि के लगते कच्ची ग्रामीण सड़क बनी हैं, ऐसी स्थिति में जो पट्टा विलेख ग्राम पंचायत किवरली द्वारा जारी किया गया हैं। उक्त भूमि का स्वामित्व ही ग्राम पंचायत को नहीं है एवं न ही उक्त भूमि आबादी भूमि हैं बल्कि उक्त भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्टतया साबित है। इस कारण जो पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या तीन के हक में जारी किया गया है, वो नियमों की धज्जियाँ उडाते हुए फर्जी तरीके से पद का दुरूपयोग कर राजस्व भूमि का जारी किया गया है जो विधि में शुरू से अवैध व शून्य है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि जो पट्टा विलेख ग्राम पंचायत किवरली द्वारा जारी किया है, उक्त भूमि मौके पर आज भी पड़त पडी हुई हैं और उक्त पट्टा विलेख में सरपंच एवं उप सरपंच के केवल मात्र हस्ताक्षर हैं। अप्रार्थी संख्या दो सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) के कोई हस्ताक्षर ही नहीं हैं इससे यह स्पष्टतया जाहिर है कि उक्त पट्टा विलेख केवल मात्र राजस्व भूमि हड़प करने के बदईरादे से जारी किए गए है और पट्टे में नाप व चतुदर्शी का जो प्लॉट बेचान करना बताया है उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही सरासर फर्जी व कूटरचित है और जिसकी पुष्टि ग्राम विकास अधिकारी व वर्तमान सरपंच द्वारा दिनांक 22.12.2022 को अपने पत्र क्रमांक 46 में ये सूचना प्रेषित की कि वर्ष 1971 से 1981 के मध्य जारी किये गये 33 पट्टो की कोई मिसल पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं एवं न ही ऐसी कोई मिसल जारी की गई हैं एवं न ही ऐसी कोई मिसल प्राप्त हुई है। इससे यह स्पष्टतया जाहिर है कि सम्पूर्ण कार्यवाही आपस में मिलकर फर्जी तरीके से राजकीय बिलानाम भूमि का पट्टा विलेख जारी किया है, जिसे जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं था। इस कारण उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही कानूनन अवैध व शून्य है एवं विधि विरूद्ध तरीके से जारी किये गये पट्टा विलेख निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि राजस्व बिलानाम भूमि खसरा संख्या 302/1 मौजा ग्राम किवरली की उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टा बाबत् तहसीलदार देलदर को शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये और जिसको यह सम्पूर्ण जानकारी होते हुए भी जानबूझकर ग्राम पंचायत के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की एवं न ही कब्जा हटाने की कार्यवाही की जबकि उक्त अप्रार्थी संख्या चार का यह कानूनन दायित्व था। उक्त भूमि लाखो रूपयों की राजकीय सम्पति हैं और ऐसे अवैध व फर्जी पट्टे विलेख के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने से प्रार्थी को राजकीय हित में उक्त कार्यवाही करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत करनी पड रही है और इसी कारण से तहसीलदार अप्रार्थी संख्या चार को इसमें पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादग्रस्त भूमि के फोटोग्राफ से स्वतः ही स्थिति स्पष्ट है एवं पटवारी हल्का द्वारा जारी रिपोर्ट में यह स्पष्टतया जाहिर है कि जो पट्टा विलेख ग्राम पंचायत किवरली द्वारा जारी किया गया है जो मौजा ग्राम किवरली के खसरा संख्या 302/1 राजकीय बिलानाम भूमि है, इस कारण पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या तीन व अन्य लोगों को जारी किये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि निगरानी पेश करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हैं, लेकिन जो पट्टा विलेख जारी किया गया है वह पट्टा विलेख फर्जी तथा कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है इस कारण उक्त निगरानी कभी भी पेश किये जाने के कारण निगरानी श्रीमान् के न्यायालय में पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत नि[illegible] अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 47 दिनांक 03.1[illegible]81 [illegible] निरस्त करना फरमावें एवं अवैध रूप से पट्टा विलेख जारी किये [illegible] कानूनी कार्यवाही करना फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 18:01:06 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या तीन के लायक अधिवक्ता श्री [illegible] मुनव्वर हुसैन द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 271 के तहत नीलामी में पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961

न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही
जिला कलेक्टर, सिरोही
Scanned with CamScanner

के नियम 256, 258, 259 एवं 260 के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है। यह कि प्रार्थी इस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से प्रार्थी की लोकस स्टैण्डाई नहीं होने से प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। यह कि प्रार्थी द्वारा पंचायत एवं राज्य सरकार को सूचित करने के बावजूद भी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा भी अप्रार्थी संख्या तीन के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वैयक्तिक वैमनस्य द्वारा अनुचित लाभ उठाने के प्रयोजन से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जो चलने योग्य नहीं हैं। यह कि ग्राम पंचायत किवरली द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन को खुली नीलामी में यह भूखण्ड़ बेचान किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन के हक में पट्टा विलेख नहीं विक्रय विलेख जारी किया गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा पट्टा विलेख के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन के हक में दिनांक 03.11.1981 को विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है और अब लगभग 52 वर्षों के असाधारण विलम्ब के बाद एवं विलम्ब का कारण दर्शाये बिना यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 52 वर्षों में अप्रार्थी संख्या 3 के अधिकार उक्त भूमि पर उद्भूत हो चुके है। यह कि ग्राम पंचायत किवरली द्वारा अपनी ही आबादी भूमि में से 700 वर्गफीट जमीन खुली नीलामी में अप्रार्थी संख्या तीन को विक्रय कर विक्रय विलेख संख्या 47 दिनांक 03.11.1981 को जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकारी संख्या एक व दो पर गलत आक्षेप लगाया गया है। यह कि ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में से जरिये नीलामी बेचान करने का अधिकार था और ग्राम पंचायत द्वारा आज तक भी उसी भूमि के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है, जबकि प्रार्थी निगरानीकार अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अप्रार्थीगण पर झूठे आरोप मढकर अपना स्वार्थ सिद्धी करना चाहता है। यह कि अप्रार्थी संख्या तीन को जारी विक्रय विलेख पंचायतीराज अधिनियम 1953 के प्रावधानो के अनुरूप जारी किया गया है जिसके निर्धारित फॉर्मेट में ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर का कॉलम ही नहीं है। निगरानीकार द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नहीं है, यदि पंचायत में अप्रार्थी संख्या तीन के हक में जारी किये गये विक्रय विलेख की मिसल यदि पंचायत से गायब हुई है तो इसके लिए अप्रार्थी संख्या तीन जिम्मेदार नहीं है। प्रार्थी द्वारा करीब 31 व्यक्तियों को जारी विक्रय विलेख को निगरानी के जरिये चुनौती दी है, जिसमें उक्त भूखण्ड़ो का सम्पूर्ण विवरण दिया गया है। जब पंचायत से मिसल गायब है तो प्रार्थी के पास उक्त जानकारी कहां से आई, यह अपने आपमें भारी संदेह उत्पन्न करता है। ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करके अप्रार्थी संख्या तीन व अन्य लोगो के हक में जरिये निलामी विक्रय विलेख नियमानुसार जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया जाना ही इस बात का प्रमाण है कि अप्रार्थी संख्या तीन के हक में जारी विक्रय विलेख संख्या 47 दिनांक 03.11.1981 सही एवं नियमानुसार जारी किया गया है। उक्त बेचान से सरकार को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है न ही निगरानीकार का इसमें कोई हित निहित है, बल्कि निगरानीकार स्वयं उक्त भूमि को हड़पने की फिराक में है। प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई हक अधिकार नहीं है। यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र असाधारण विलम्ब के 52 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है उक्त अवधि में अप्रार्थी संख्या तीन के उक्त भूखण्ड़ पर अधिकार भी सृजित हो गये है। मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न तो देरी का कोई कारण बताया गया है न ही स्पष्टीकरण दिया गया है। इस कारण [illegible] पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करना फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 18:01:06 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या चार की ओर से पेरोकार [illegible]रकार द्वारा निवेदन किया गया कि तत्कालीन सरपंच किवरली द्वारा तथाकथित पट्टा संख्या 47 दिनांक 03.11.1981 को जारी किया गया था, जबकि राजस्व रिकार्ड में ग्राम किवरली के नवीन खसरा संख्या 302/1 किस्त खाल–खड्डर राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है। यह है कि ग्राम किवरली के खसरा

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

संख्या 302/1 रकबा 0.3414 हैक्टेयर किस्म खाल–खद्दर बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त संवत 2029 अनुसार भी ग्राम किवरली के खसरा संख्या 302/1 रकबा 1–07 बीघा किस्म बारानी प्रथम भूमि सिवायचक श्री सरकार के खाते में ही दर्ज है। अतः तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत किवरली द्वारा जारी उक्त पट्टा सिवायचक भूमि पर जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है, क्योंकि उक्त भूमि न तो सक्षम स्तर से ग्राम पंचायत को आबादी हेतु आवंटित की गई है, आवंटन व आवंटन उपरान्त अमल–दरामद होने पर ही ग्राम पंचायत विधिवत पट्टा जारी करने के लिए सक्षम होती है। राजकीय बिलानाम भूमि पर जारी तथाकथित पट्टे विधिमान्य नही है। यह कि प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा ऐसी कोई शिकायत तहसीलदार के समक्ष रिकोर्डेड प्रस्तुत नहीं की गई। चूंकि एक प्रार्थना पत्र पट्टाधारकों में से सात लोगों ने उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को पट्टों का अमल–दरामद करने व कब्जा सुपुर्द करने हेतु दिनांक 13.12.2022 को पेश किया गया, जिसकी जाँच के दौरान ग्राम विकास अधिकारी किवरली से बयान व पट्टो संबंधित रिकॉर्ड/पत्रावलियां मांगी गई थी। ग्राम विकास अधिकारी किवरली के बयान व पत्र दिनांक 21.12.2022 मय सूची तथा ग्राम विकास अधिकारी के बयान दिनांक 21.12.2022 व पत्रॉक दिनांक 21.12.2022 से साबित है कि इन तथाकथित पट्टों संबंधित रिकॉर्ड/ मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इसी आधारों के तहत जाँच रिपोर्ट श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को इस कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/2022/1716 दिनांक 22.12.2022 से प्रेषित की गई है। यह कि प्रार्थी एक स्वतन्त्र पक्षकार है, हितबद्ध पक्ष नही रखता है। लोक सेवक की किसी स्तर पर संलिप्तता प्रतीत नही हो रही है। उक्त वजुआतों के मध्यनजर जवाब अप्रार्थी संख्या चार का स्वीकार फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या तीन व चार की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

जहॉ तक अप्रार्थी संख्या तीन के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी पेश करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नही है। किसी पंचायती राज संस्था के विनिश्चिय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों के बारे में स्वंय का समाधान करने एवं उसकी परीक्षा स्वप्रेरणा से करने के राज्य सरकार के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त है ।

अप्रार्थी संख्या तीन को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, किवरली द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 271 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में से भूखण्ड का नीलामी के जरिए विक्रय विलेख जारी किया गया है।

जहां तक अप्रार्थी संख्या तीन के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया है इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय प[illegible] अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार [illegible] शक्ति[illegible] जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधि[illegible] 1953 की धारा [illegible] सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के [illegible]सीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का [illegible] अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 18:01:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या तीन के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या तीन के अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या चार तहसीलदार देलदर द्वारा अपने जबाव में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत किवरली द्वारा उक्त विवादित विक्रय विलेख राजस्व भूमि पर जारी किए गए है, जो कि राजस्व रेकर्ड में ग्राम किवरली के खसरा संख्या 302/1 रकबा 0.3414 हैक्टेयर किस्म खाल–खड्डर बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है तथा मिसल बन्दोबस्त संवत 2029 अनुसार भी ग्राम किवरली के खसरा संख्या 302/1 रकबा 1–07 बीघा किस्म बारानी प्रथम भूमि सिवायचक श्री सरकार के खाते में ही दर्ज है। चूंकि ग्राम पंचायत को केवल मात्र आबादी भूमि पर ही पट्टा जारी करने व नीलामी के जरिए बेचान करने का अधिकार प्रदत्त है, परन्तु ग्राम पंचायत किवरली द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि पर उक्त वादग्रस्त विक्रय विलेख जारी करने से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत किवरली द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त वादग्रस्त विक्रय विलेख राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 271 के तहत जारी किया गया है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 271 के तहत विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व नियम 256, 258, 259, 260 की पालना का अभाव पाया गया है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा नियम 256 के अनुसार क्रेता भूमि क्रय का आवेदन प्रस्तुत करेगा, साथ ही आवेदक प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्रस्तुत करेगा। विक्रय भूमि का नियम 258 के तहत तीन पंचों से मौका निरीक्षण करवाया जाएगा, जिसमें नियम 256 के उपनियम 2 के बिन्दु संख्या क–घ तक की स्पष्ट रिपोर्ट पेश की जाएगी, तत्पश्चात नियम 259 के तहत भूमि के विक्रय का अस्थाई निर्णय लिया जाएगा। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति ईश्तिहार जारी किया जाएगा तथा नियम 260 के तहत जारी नोटिस के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण उपरान्त नियम 262 के तहत नीलामी की जाएगी तथा नियम 271 के तहत उपरोक्त अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप में विक्रय विलेख जारी किया जाना चाहिए था, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से उक्त विक्रय विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 256, 258, 259, 260 व 262 की पालना का अभाव पाया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त विवादित विक्रय विलेखों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, जो ग्राम पंचायत किवरली द्वारा अपने पत्र क्रमांक/पंचा/2022–23/43 दिनांक 22.12.2022 के द्वारा स्पष्ट किया गया है। अप्रार्थी संख्या तीन के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड ग्राम पंचायत किवरली से खुली नीलामी में क्रय किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि तहसीलदार देलदर द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट किया गया है कि उक्त वादग्रस्त भूखण्ड की भूमि राजस्व रेकर्ड में राजकीय बिलानाम सरकार, राजस्व भूमि थी, जिसका नीलामी के जरिए बेचान करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था अतः सरपंच ग्राम पंचायत किवरली द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर राजस्व भूमि का नीलामी के जरिए बेचान किया गया है, जो सही नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि न तो सक्षम स्तर से ग्राम पंचायत को आबादी हेतु आवंटित की गई है तथा भूमि आवंटन व आवंटन उपरान्त राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद होने पर ही ग्राम पंचायत विधिवत पट्टा जारी करने के लिए सक्षम होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 18:01:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से ग्राम पंचायत किवरली द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन के हक में जारी विक्रय विलेख न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत किवरली द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन के हक में जारी विक्रय विलेख संख्या 47 दिनांक 03.11.1981 वर्गफीट 700 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 18:01:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner